भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/विवि/2025-26/233

विवि.सीआरई.आरईसी.152/07-03-003/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025

विषय-सूची

अध्याय I - प्रारंभिक 2
अध्याय II - एक्सपोजर मानदंड 6
अध्याय III - अंतर-बैंक देनदारियों (आईबीएल) के लिए विवेकपूर्ण सीमाएँ 14
अध्याय IV - निरसन और अन्य प्रावधान 15
अनुबंध - I 16

परिचय

किसी बैंक का किसी एक प्रतिपक्ष या परस्पर जुड़े प्रतिपक्षों के समूह के प्रति एक्सपोजर का संकेंद्रण काफ़ी जोखिम पैदा करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मजबूत जोखिम प्रबंधन की अनिवार्यता को पहचानते हुए, मार्च 1989 में विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा शुरू की। इन सीमाओं ने व्यक्तिगत उधारकर्ता और समूह उधारकर्ताओं के प्रति बैंकों के एक्सपोजर को पूंजी निधि के एक निश्चित प्रतिशत तक सीमित कर दिया, जिससे उनकी तुलन-पत्र आस्तियों पर संकेंद्रण जोखिम को कम करने की नींव रखी गई। तुलन-पत्र के देयता पक्ष पर संकेंद्रण जोखिम को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई ने 2007 में अंतर-बैंक देयताओं के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं शुरू कीं, जिससे संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन पर अपने व्यापक दृष्टिकोण को और मजबूत किया गया। ये विवेकपूर्ण सीमाएं स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी) पर आनुपातिक रूप से लागू होती हैं जैसा कि इन निदेशों में दिया गया है।

तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को सक्षम करने वाले अन्य सभी प्रावधानों/कानूनों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा, इसके बाद विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय I - प्रारंभिक

क. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025 कहा जाएगा।

2. ये निदेश जारी होने के तुरंत बाद प्रभावी हो जाएंगे।

ख. प्रयोज्यता

3. ये निदेश स्थानीय क्षेत्र बैंकों (इसके बाद सामूहिक रूप से 'बैंकों' और व्यक्तिगत रूप से 'बैंक' के रूप में संदर्भित) पर लागू होंगे।

ग. परिभाषाएं

4. जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन निदेशों में दिए गए पदों के अर्थ वही होंगे, जो नीचे दिए गए हैं:-

(1) **"एक्सपोजर मानदंडों के लिए पूंजी निधि"** में टियर I और टियर II पूंजी शामिल होगी जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक **(**स्थानीय क्षेत्र बैंक **-** पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 में परिभाषित किया गया है, और जो कि पिछले वर्ष के 31 मार्च पर प्रकाशित खातों के अनुसार होगी। हालांकि, प्रकाशित तुलन पत्र की तारीख के बाद टियर I और टियर II के तहत पूंजी के निवेश को भी एक्सपोजर सीमा निर्धारित करने के लिए गणना में लिया जाएगा। तिमाही लाभ आदि के माध्यम से पूंजी निधियों में अन्य अभिवृद्धि, एक्सपोजर सीमा निर्धारित करने के लिए गणना किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगी। बैंकों को भविष्य की तारीख में पूंजी लगाने की प्रत्याशा में विनियामक सीमा से अधिक ऋण लेने से भी प्रतिबंधित किया गया है।

(2) "**एक्सपोजर"** में ऋण एक्सपोजर (वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित ऋण सीमा) और निवेश एक्सपोजर (अंडरराइटिंग और इसी तरह की प्रतिबद्धताओं सहित) शामिल होंगे। स्वीकृत सीमा या बकाया राशि, जो भी अधिक हो, को एक्सपोजर सीमा के निर्धारण के लिए गिना जाएगा। तथापि, पूर्ण रूप से आहरित सावधि ऋणों के मामले में, जहां स्वीकृत सीमा के किसी भी भाग को पुन आहरण की कोई गुंजाइश नहीं है, बैंक एक्सपोजर के निर्धारण के लिए बकाया राशि को शामिल कर सकता है। ऋण एक्सपोजर, निवेश एक्सपोजर और डेरिवेटिव उत्पादों के लिए एक्सपोजर की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

(i) "**ऋण एक्सपोजर**" में सभी प्रकार की वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित ऋण सीमाएं और उपकरण पट्टे पर देने, किराया खरीद वित्तपोषण और फैक्टरिंग सेवाओं के माध्यम से विस्तारित सुविधाएं शामिल हैं।

(ii) "**निवेश एक्सपोजर**" में कंपनियों के शेयरों और डिबेंचर, पीएसयू बॉन्ड और वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) में निवेश शामिल है।

स्पष्टीकरण:

(a) किसी बैंक द्वारा किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) / पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री के परिणामस्वरूप मुआवजे के रूप में जारी किए गए डिबेंचर / बॉन्ड / प्रतिभूति रसीद / पास-थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी) में किया गया निवेश, एससी / आरसी पर एक्सपोजर माना जाएगा।

(b) किसी बैंक द्वारा कॉरपोरेट्स के बॉन्ड और डिबेंचर में किए गए निवेश को, जिसकी गारंटी आरबीआई विनियमित इकाई द्वारा दी जाती है, भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 द्वारा भी नियंत्रित किया जाएगा।

(iii) "**डेरिवेटिव उत्पादों का ऋण एक्सपोजर**" ब्याज दर और विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव लेनदेन और सोने के कारण उत्पन्न होने वाला ऋण एक्सपोजर है। एक्सपोजर मानदंडों के प्रयोजन के लिए, एक बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 में निर्धारित विधि का उपयोग करके डेरिवेटिव उत्पादों के अपने ऋण एक्सपोजर की गणना करेगा।

(3) **"समूह"** की निम्नलिखित परिभाषा होगी:-

(i) समूह की अवधारणा और विशिष्ट औद्योगिक समूहों से संबंधित उधारकर्ताओं की पहचान करने का कार्य बैंक/वित्तीय संस्थान के विवेक पर छोड़ दिया गया है। बैंक/वित्तीय संस्थान आमतौर पर जोखिम वाली आस्तियों के प्रति अपने जोखिम को विनियमित करने के उद्देश्य से अपने ग्राहकों के मूल संरचना से अवगत होता है। इसलिए, जिस समूह से कोई विशेष उधार इकाई संबंधित है, उसका निर्णय उसके पास उपलब्ध प्रासंगिक जानकारी के आधार पर किया जा सकता है, मार्गदर्शक सिद्धांत प्रबंधन की समानता और प्रभावी नियंत्रण है। जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है, केवल एकल उधारकर्ता एक्सपोजर सीमा लागू होगी।

(ii) समूह में विभाजन के मामले में, यदि विभाजन को औपचारिक रूप दिया जाता है तो स्प्लिंटर समूहों को अलग-अलग समूहों के रूप में माना जाएगा। यदि किसी बैंक और वित्तीय संस्थान को विभाजन की सत्यता के बारे में संदेह है, तो इस मामले में अपने आरबीआई को उसके अंतिम दृष्टिकोण के लिए एक संदर्भ दिया जा सकता है ताकि समूह दृष्टिकोण के तहत कवरेज को रोकने के लिए, जान-बूझकर विभाजन कराये जाने की संभावना को रोका जा सके।

(4) "**<u>निवल मालियत</u>"** में चुकता पूंजी और मुक्त रिजर्व, लेकिन शेयर प्रीमियम को जोड़कर तथा पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर शामिल होंगे। साथ ही निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व और लाभ तथा हानि खाते में क्रेडिट बैलेंस को जोड़ना होगा और लाभ तथा हानि खाते में डेबिट बैलेंस, संचित हानि और अमूर्त आस्ति को घटाना होगा। निवल मूल्य की गणना में कोई सामान्य या विशिष्ट प्रावधान शामिल नहीं किया जाना चाहिए। पूंजी बाजार में एक्सपोजर की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए प्रकाशित तुलन-पत्र की तारीख के बाद घरेलू निर्गमों के माध्यम से, विदेशी फ्लोटों के माध्यम से अथवा इक्विटी शेयरों के माध्यम से पूंजी निवेश को भी गणना में लिया जा सकता है। बैंकों को पूंजी की वृद्धि पूरी होने पर एक बाहरी लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और परिवर्धन की गणना करने से पहले इसे भारतीय रिज़र्व बैंक (पर्यवेक्षण विभाग) को प्रस्तुत करना होगा, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

(5) "**क्वालीफाइंग केंद्रीय प्रतिपक्ष** " या "**क्यूसीसीपी**" एक ऐसी इकाई है जिसे केंद्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी) के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस दिया गया है, जिसमें छूट की पुष्टि करने के माध्यम से दिया गया लाइसेंस भी शामिल है, और उपयुक्त नियामक/ओवरसियर द्वारा पेश किए गए उत्पादों के संबंध में इस तरह से काम करने की अनुमति दी जाती है। यह इस प्रावधान के अधीन है कि सीसीपी एक ऐसे अधिकार क्षेत्र में आधारित और विवेकपूर्ण ढंग से पर्यवेक्षित है जहां संबंधित नियामक/पर्यवेक्षक ने स्थापित किया है, और

सार्वजनिक रूप से संकेत दिया है कि यह सीसीपी पर निरंतर आधार पर, घरेलू नियम और विनियम जो वित्तीय बाजार बुनियादी ढांचे के लिए सीपीएसएस-आईओएससीओ सिद्धांतों के अनुरूप हैं पर लागू होता है।

(6) "**प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन (एसएफटी)**" पुनर्खरीद समझौते, रिवर्स पुनर्खरीद समझौते, सिक्योरिटी लेंडिंग और उधार, कोलैटरलाइज्ड उधार और लेंडिंग और मार्जिन लेंडिंग लेनदेन जैसे लेनदेन हैं, जहां लेनदेन का मूल्य बाजार मूल्यांकन पर निर्भर करता है और लेनदेन अक्सर मार्जिन समझौतों के अधीन होते हैं.

(7) "**ट्रेड एक्सपोजर**" में ओटीसी डेरिवेटिव, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव लेनदेन या एसएफटी से उत्पन्न होने वाले सीसीपी के प्रति एक क्लियरिंग सदस्य या ग्राहक के वर्तमान एक्सपोजर और संभावित भविष्य के एक्सपोजर के साथ-साथ प्रारंभिक मार्जिन भी शामिल है। एक क्लियरिंग सदस्य के वर्तमान एक्सपोजर में क्लियरिंग सदस्य को देय भिन्नता मार्जिन, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, शामिल है।

(8) "**डिफ़ॉल्ट निधि**", जिसे क्लियरिंग जमा या गारंटी निधि योगदान (या कोई अन्य नाम) के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें सीसीपी की पारस्परिक हानि साझाकरण व्यवस्था के प्रति क्लियरिंग सदस्यों के वित्त पोषित या गैर-वित्त पोषित योगदान, हामीदारी शामिल हैं। सीसीपी द्वारा अपनी पारस्परिक हानि साझाकरण व्यवस्था को दिया गया विवरण डिफ़ॉल्ट निधि के रूप में उनकी स्थिति का निर्धारक नहीं है; बल्कि, ऐसी व्यवस्थाओं का सार उनकी स्थिति को नियंत्रित करेगा.

5. जब तक कि यहां परिभाषित न किया गया हो, अन्य सभी अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 या उसके किसी भी सांविधिक संशोधन या पुन: अधिनियमन के तहत के तहत उन्हें सौंपा गया है या वाणिज्यिक बोल-चाल में प्रयुक्त होता है, जैसा भी मामला हो।

अध्याय II - एक्सपोजर मानदंड

क. बोर्ड की भूमिका

6. बैंक संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन पर एक व्यापक बोर्ड अनुमोदित नीति स्थापित करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(1) नाबार्ड के लिए जोखिम के आकार को निर्धारित करने के लिए नीति।

(2) उपभोक्ता ऋण के तहत विभिन्न उप-खंडों के संबंध में सीमाएं, विशेष रूप से गैर-जमानती उपभोक्ता ऋण एक्सपोजर के लिए सीमाएं।

(3) पूंजी बाजारों के लिए इंट्रा-डे एक्सपोजर सीमा।

(4) पूंजी बाजार एक्सपोजर के लिए निर्धारित विनियामक सीमा के भीतर आंतरिक सीमा।

ख. एक्सपोजर सीमा

ख.1 एकल और समूह उधारकर्ताओं के लिए ऋण एक्सपोजर

7. एकल और समूह उधारकर्ता के लिए एक बैंक का ऋण एक्सपोजर उसके पूंजी निधि के क्रमशः 15 प्रतिशत और 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

ख.2 कुछ विशिष्ट प्रतिपक्षों के लिए और उनके बीच एक्सपोजर

ख.2.1 केंद्रीय प्रतिपक्षों के लिए एक्सपोजर

8. क्लियरिंग गतिविधियों से संबंधित क्यूसीसीपी के लिए बैंक के एक्सपोजर को एकल उधारकर्ता पर लागू पूंजी निधि के 15 प्रतिशत की एक्सपोजर सीमा से छूट दी जाएगी। क्लियरिंग एक्सपोजर में ट्रेड एक्सपोजर और डिफॉल्ट निधि एक्सपोजर शामिल होंगे। क्यूसीसीपी के लिए अन्य एक्सपोजर जैसे ऋण, क्रेडिट लाइन, सीसीपी की पूंजी में निवेश, चलनिधि सुविधाएं, आदि एकल उधारकर्ता को पूंजी निधियों के 15 प्रतिशत की मौजूदा एक्सपोजर सीमा के भीतर जारी रहेंगे।

9. गैर-क्यूसीसीपी के लिए एक बैंक का एक्सपोजर एकल उधारकर्ता पर लागू पूंजी निधि के 15 प्रतिशत की एक्सपोजर सीमा के अधीन होगा।

ख.2.2 एनबीएफसी के लिए एक्सपोजर

ख.2.2.1 स्वर्ण लोन कंपनी को छोड़कर एनबीएफसी में एक्सपोजर

10. एक एकल एनबीएफसी और समूह एनबीएफसी उधारकर्ता के लिए एक बैंक का ऋण और निवेश एक्सपोजर उसके पूंजी निधि के क्रमशः 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

ख.2.2.2 मुख्य रूप से सोने के आभूषणों के संपार्श्विक के जमानत पर ऋण देने में लगी हुई एनबीएफसी के लिए एक्सपोजर

11. एक एकल एनबीएफसी, जो मुख्य रूप से सोने के आभूषणों के संपार्श्विक के जमानत पर ऋण (इसके बाद 'स्वर्ण ऋण' के रूप में संदर्भित) देने में लगी हुई है, यानी ऐसे ऋण जिसमें इसकी वित्तीय आस्ति का 50 प्रतिशत या उससे अधिक शामिल है, के लिए एक बैंक का एक्सपोजर, बैंक की पूंजी निधि के 7.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

ख.3 कंसोर्टियम व्यवस्था के तहत ऋण

12. कंसोर्टियम/मल्टीपल बैंकिंग/सिंडिकेशन व्यवस्था के तहत ऋण देने पर भी एक्सपोजर सीमा लागू होगी।

ख.4 लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) के तहत डिस्काउंट किए गए बिल

13. यदि बिल डिस्काउंटिंग/खरीद/नेगोशिएटिंग बैंक और एलसी जारी करने वाला बैंक अलग-अलग संस्थाएं हैं, तो एलसी के तहत खरीदे/डिस्काउंट किए/नेगोशिएट किए गए बिल (जहां लाभार्थी को भुगतान 'अंड़र रिज़र्व' नहीं किया जाता है) को एलसी जारी करने वाले बैंक पर एक्सपोजर माना जाएगा, न कि तीसरे पक्ष/उधारकर्ता पर। हालांकि, यदि बिल डिस्काउंटिंग/खरीद/नेगोशिएटिंग बैंक और एलसी जारी करने वाला बैंक एक ही बैंक का हिस्सा हैं, यानी जहां एलसी उसी बैंक के प्रधान कार्यालय या शाखा द्वारा जारी की जाती है, तो एक्सपोजर तीसरे पक्ष/उधारकर्ता पर लिया जाना चाहिए, न कि एलसी जारी करने वाले बैंक पर। 'अंड़र रिज़र्व' नेगोशिएशन के मामले में, एक्सपोजर को उधारकर्ता पर माना जाना चाहिए।

ख.5 छूट

ख.5.1 खाद्य ऋण

14. जिन उधारकर्ताओं को खाद्य ऋण के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा सीधे सीमा आवंटित की जाती है, उन्हें अधिकतम सीमा से छूट होगी।

ख.5.2 भारत सरकार द्वारा गारंटी

15. एकल/समूह एक्सपोजर सीमा वहाँ लागू नहीं होगी जहां मूलधन और ब्याज की पूरी गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है।

ख.5.3 स्वयं की सावधि जमा राशि के बदले ऋण

16. बैंक की अपनी सावधि जमाओं की ज़मानत पर दिए गए ऋण और अग्रिमों (वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित दोनों सुविधाएं) को इस हद तक एक्सपोजर की गणना करने के लिए नहीं माना जाना चाहिए जहां तक बैंक के पास ऐसी जमाराशियों पर एक विशिष्ट ग्रहणाधिकार है।

ख.5.4 नाबार्ड पर एक्सपोजर

17. एकल/समूह उधारकर्ता एक्सपोजर सीमा नाबार्ड पर बैंक द्वारा ग्रहण किए गए एक्सपोजर पर लागू नहीं होगी। बैंक अपने निदेशक मंडल द्वारा तैयार की गई नीति के अनुसार नाबार्ड को दिए गए एक्सपोजर के आकार को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) निदेश, 2025 के संदर्भ में निर्धारित अनरेटेड गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश से संबंधित प्रतिबंधों से कोई छूट नहीं होगी।

ग. उद्योग और विशिष्ट क्षेत्रों में एक्सपोजर

ग.1 आंतरिक एक्सपोजर सीमाएँ

ग.1.1 क्षेत्रीय सीमाओं का निर्धारण

18. एकल या समूह उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोजर को सीमित करने के अलावा, एक बैंक विविध क्षेत्रीय एक्सपोजर सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों के प्रति समग्र प्रतिबद्धताओं के लिए आंतरिक सीमा तय करने पर विचार करेगा। ये क्षेत्रीय सीमाएं बैंक के क्षेत्रीय प्रदर्शन और संबंधित जोखिम धारणाओं के आकलन के आधार पर तय की जाएंगी। बैंक समय-समय पर इन सीमाओं की समीक्षा और संशोधन करेगा, जैसा कि उचित समझा जाएगा।

19. विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन के हिस्से के रूप में, एक बैंक उपभोक्ता ऋण के तहत विभिन्न उप-खंडों, जैसा बोर्ड आवश्यक समझें, के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमाएं होंगी। विशेष रूप से, सभी गैर-जमानती उपभोक्ता ऋण एक्सपोजर के लिए सीमाएं निर्धारित की जाएंगी। इस प्रकार निर्धारित सीमाओं की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निरंतर आधार पर कड़ाई से पालन और निगरानी की जाएगी।

20. चल आस्तियों के खिलाफ बैंक द्वारा दिए गए सभी टॉप-अप ऋण, जो स्वाभाविक रूप से मूल्यह्रास प्रकृति में हैं, जैसे वाहन, को ऋण मूल्यांकन, विवेकपूर्ण सीमा और एक्सपोजर उद्देश्यों के लिए गैर-जमानती ऋण के रूप में माना जाएगा।

ग.1.2 एनबीएफसी क्षेत्र में एक्सपोजर

21. बैंक सभी एनबीएफसी के लिए अपने कुल एक्सपोजर के लिए आंतरिक सीमा तय करने पर भी विचार कर सकता है।

22. बैंक के पास उन सभी एनबीएफसी के लिए अपने कुल एक्सपोजर पर एक आंतरिक उप-सीमा होनी चाहिए, जिनके पास उनकी कुल वित्तीय परिसंपत्तियों के 50 प्रतिशत या उससे अधिक की सीमा तक स्वर्ण ऋण है। यह उप-सीमा आंतरिक सीमा के भीतर होनी चाहिए, जहां बैंक द्वारा सभी एनबीएफसी के लिए अपने कुल एक्सपोजर के लिए निर्धारित किया गया है, जैसा कि पैराग्राफ 21 में उल्लेख किया गया है।

ग.1.3 रियल एस्टेट में एक्सपोजर

23. बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 द्वारा निर्देशित होगा।

ग.1.4 पूंजी बाजारों में बैंकों का एक्सपोजर – मानदंडों का युक्तिकरण

ग.1.4.1 पूंजी बाजार एक्सपोजर (सीएमई) के घटक

24. एक बैंक के पूंजी बाजार एक्सपोजर में उसके प्रत्यक्ष एक्सपोजर और अप्रत्यक्ष एक्सपोजर दोनों शामिल होंगे। किसी बैंक के सभी रूपों में पूंजी बाजारों में कुल एक्सपोजर (दोनों वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित), यदि उसे भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 के संदर्भ में इस तरह के एक्सपोजर करने की अनुमति दी जाती है, में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(1) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों, जिसका कोष विशेष रूप से कॉर्पोरेट कर्ज़ में निवेश नहीं किया जाता है, में एक बैंक का प्रत्यक्ष निवेश;

(2) शेयरों/बॉन्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए व्यक्तियों को क्लीन आधार पर, बैंक द्वारा अग्रिम;

(3) किसी अन्य प्रयोजन के लिए बैंक द्वारा अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक सुरक्षा के रूप में लिया जाता है;

(4) शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित सीमा तक किसी अन्य उद्देश्य के लिए बैंक द्वारा अग्रिम, यानी जहां शेयरों/परिवर्तनीय बांड/परिवर्तनीय डिबेंचर/इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती है;

(5) स्टॉक ब्रोकरों को बैंक द्वारा जमानती और गैर-जमानती अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों और बाजार निर्माताओं की ओर से जारी की गई गारंटी;

(6) शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के योगदान को पूरा करने के लिए क्लीन आधार पर, कॉरपोरेट्स को बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण;

(7) अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों की जमानत पर बैंक द्वारा कंपनियों को दिए जाने वाले ब्रिज ऋण;

(8) शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;

(9) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को बैंक द्वारा वित्तपोषण; और

(10) वैकल्पिक निवेश फंड के लिए बैंक के सभी एक्सपोजर।

ग.1.4.2 पूंजी बाजार में बैंक के एक्सपोजर की सीमाएं

ग.1.4.2.1 कंपनियों में शेयरधारिता पर सांविधिक सीमा

25. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) के अनुसार कोई भी बैंकिंग कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) में दी गयी व्यवस्था के सिवाय, किसी कंपनी में गिरवीदार, बंधकग्राही अथवा पूर्ण स्वामी के रूप में उस कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी अथवा अपनी स्वयं की चुकता शेयर पूंजी और रिज़र्व, जो भी कम हो, के 30 प्रतिशत से अधिक की राशि के शेयर धारित नहीं करेगी। एक्सपोजर सीमा निर्धारित करने के उद्देश्य से डीमैट रूप में रखे गए शेयरों को भी शामिल किया जाना चाहिए। प्रत्येक कंपनी के लिए यह एक समग्र धारण सीमा है। शेयरों की जमानत पर अग्रिम मंजूर करते समय, शेयरों के निर्गम की हामीदारी देते समय या निवेश खाते पर अथवा किसी कंपनी के ऋण के बदले में कोई शेयर अर्जित करते समय इन सांविधिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

ग.1.4.2.2 विनियामक सीमा

26. सभी रूपों (वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित) में पूंजी बाजारों में बैंक का कुल एक्सपोजर, पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार उसके निवल मालियत के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इस कुल सीमा के भीतर, शेयरों, परिवर्तनीय बांड/डिबेंचर, इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों और वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) के प्रति सभी एक्सपोजर में बैंक का प्रत्यक्ष निवेश उसके निवल मालियत के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

27. उपर्युक्त अधिकतम सीमा अनुमेय है और बैंक का निदेशक मंडल बैंक के समग्र जोखिम प्रोफाइल और कॉर्पोरेट रणनीति को ध्यान में रखते हुए बैंक के लिए कम सीमा अपनाने के लिए स्वतंत्र है। एक बैंक निरंतर आधार पर सीमा का अनुपालन करेगा।

28. भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक – दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश, 2025 के संदर्भ में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के तहत कर्ज़/अतिदेय ब्याज को इक्विटी में बदलने के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा अधिग्रहित शेयरों को पूंजी बाजार एक्सपोजर पर विनियामक सीमा/प्रतिबंध, पैरा-बैंकिंग गतिविधियों में निवेश और अंतर-समूह एक्सपोजर से छूट दी जाएगी। तथापि, इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति गुणवत्ता पर विनियमित डीएसबी रिटर्न के साथ प्रत्येक माह डीओएस, सीओ) को रिपोर्ट करने और बैंक द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरणों में खातों में नोट्स में प्रकटीकरण की आवश्यकता होगी। फिर भी, बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 (2) के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।

ग.1.4.3 बैंक के पूंजी बाजार एक्सपोजर से बाहर रखी गई मदें

29. निम्नलिखित मदों को निवल मालियत के 40 प्रतिशत की कुल एक्सपोजर सीमा और निवल मालियत के 20 प्रतिशत की प्रत्यक्ष निवेश एक्सपोजर सीमा (जहां भी लागू हो) से बाहर रखा जाना चाहिए:

(1) शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों में बैंक का निवेश, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल), एनएसई क्लियरिंग लिमिटेड (नेशनल क्लियरिंग), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (सीसीआईएल), एक क्रेडिट सूचना कंपनी जिसने आरबीआई से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और जिसमें बैंक एक सदस्य है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमसीएक्स), नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (एनसीडीईएक्स), इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (आईसीईएक्स), नेशनल कमोडिटी मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (एनसीएमएल), नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जैसा कि अनुबंध - I में दिया गया है, जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करने वाले संस्थानों द्वारा जारी किए गए परिवर्तनीय बांड। लिस्टिंग के बाद, मूल निवेश से अधिक एक्सपोजर (यानी लिस्टिंग से पहले) सीएमई का हिस्सा बनेगा।

(2) अन्य बैंकों द्वारा जारी टियर I और टियर II कर्ज़ लिखत

(3) अन्य बैंकों के जमा प्रमाणपत्र (सीडी) में निवेश।

(4) वरीयता शेयरों में बैंक द्वारा निवेश।

(5) किसी बैंक द्वारा अपरिवर्तनीय डिबेंचरों और अपरिवर्तनीय बांडों में निवेश।

(6) किसी बैंक द्वारा म्यूचुअल फंड की इकाइयों में उन योजनाओं के अंतर्गत निवेश किया जाता है जिनमें कोष का निवेश विशेष रूप से कर्ज़ लिखतों में किया जाता है।

(7) भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश, 2025 के संदर्भ में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के तहत कर्ज़/अतिदेय ब्याज को इक्विटी में बदलने के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा अधिग्रहित शेयर।

ग.1.4.4 एक्सपोजर की गणना

30. पूंजी बाजार में एक्सपोजर की गणना करने के लिए, स्वीकृत ऋण/अग्रिमों और पूंजी बाजार संचालन के लिए जारी की गई गारंटियों की गणना स्वीकृत सीमा या बकाया, जो भी अधिक हो, के संदर्भ में की जाएगी। हालांकि, पूरी तरह से आहरित सावधि ऋणों के मामले में, जहां स्वीकृत सीमा के किसी भी हिस्से को फिर से आहरण करने की कोई गुंजाइश नहीं है, एक बैंक बकाया को एक्सपोजर के रूप में मानेगा।

31. शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में बैंक के प्रत्यक्ष निवेश की गणना उसके लागत मूल्य पर की जाएगी।

ग.1.4.5 इंट्रा-डे एक्सपोजर

32. बैंक पूंजी बाजार में इंट्रा-डे एक्सपोजर सीमा तय करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति स्थापित करेगा और ऐसी सीमाओं की निरंतर निगरानी के लिए एक उपयुक्त प्रणाली स्थापित करेगा।

घ. बैंकों/वित्तीय संस्थानों के बीच पूंजी का क्रॉस होल्डिंग

33. बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 द्वारा निर्देशित होंगे।

ङ. शेयरों, डिबेंचर आदि के सार्वजनिक निर्गम के लिए 'रक्षा कवच' योजनाएं।

ङ.1 'रक्षा कवच' योजनाएँ

34. कोई बैंक 'रक्षा कवच' या ऐसी कोई सुविधा प्रदान नहीं करेगा, जिसमें एक निर्धारित अवधि के दौरान निवेशकों से प्रतिभूतियों को पूर्व-निर्धारित मूल्य पर खरीदने की प्रतिबद्धता होगी, चाहे प्रचलित बाजार मूल्य कुछ भी हो।

ङ.2 बायबैक सुविधाओं का प्रावधान

35. यदि कोई बैंक नए निर्गमों को सबस्क्राइब करने वाले छोटे निवेशकों को बायबैक व्यवस्था प्रदान करता है, तो ऐसी व्यवस्था पूर्व-निर्धारित कीमतों पर प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए प्रतिबद्धता प्रदान नहीं करेगी। प्रतिभूतियों के लिए प्रचलित शेयर बाजार मूल्यों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर कीमतें निर्धारित की जानी चाहिए। प्रतिबद्धताएं भी राशि के संदर्भ में कुल निर्गम के मध्यम अनुपात तक सीमित होनी चाहिए और

बैंक की स्वामित्व निधि के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये प्रतिबद्धताएं उन समग्र एक्सपोजर सीमाओं के अधीन भी होंगी जो समय-समय पर निर्धारित की गई हैं या की जा सकती हैं।

अध्याय III - अंतर-बैंक देयताओं (आईबीएल) के लिए विवेकपूर्ण सीमाएँ

36. अंतर-बैंक देयताओं के लिए विवेकपूर्ण सीमाओं पर विनियामक अनुदेश भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - आस्ति देयता प्रबंधन) निदेश, 2025 में शामिल हैं।

अध्याय IV - निरसन और अन्य प्रावधान

क. निरसन और व्यावृत्ति

37. इन निदेशों के जारी होने के साथ, स्थानीय क्षेत्र बैंकों पर लागू संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन से संबंधित मौजूदा निदेशों, अनुदेशों और दिशानिर्देशों को निरस्त कर दिया गया है, जैसा कि दिनांक 28 नवंबर 2025 के परिपत्र विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 द्वारा सूचित किया गया है। इन निदेशों को जारी करने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त रहेंगे।

38. इस तरह के निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के तहत की गई या कथित तौर पर की गई या शुरू की गई कोई भी कार्रवाई उसके प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगी। इन निरस्त सूचियों के तहत दी गई सभी स्वीकृतियों या अभिस्वीकृतियों को इन निदेशों द्वारा शासित माना जाएगा। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के निरसन से निम्नलिखित पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

(1) उसके तहत प्राप्त, अर्जित या उपगत किया गया कोई भी अधिकार, दायित्व या देयता;

(2) इसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई भी दंड, जब्ती या सजा;

(3) पूर्वोक्त के रूप में इस तरह के किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, दंड, जब्ती, या सजा के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही, या उपाय; और इस तरह की कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय स्थापित, जारी या लागू किया जा सकता है और इस तरह के किसी भी दंड, जब्ती या सजा को लगाया जा सकता है जैसे कि उन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया था।

ख. अन्य कानूनों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं

39. इन निदेशों के प्रावधान तत्समय लागू किसी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों या निदेशों के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनकी अवहेलना नहीं करेंगे।

ग. व्याख्याएं

40. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से या इन निदेशों के प्रावधानों के आवेदन या व्याख्या में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक समझे, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(वैभव चतुर्वेदी)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध - I

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों की सूची

[बैंकों द्वारा इक्विटी/परिवर्तनीय बॉन्ड/परिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश - उन वित्तीय संस्थाओं की सूची जिनके लिखतों को पूंजी बाजार एक्सपोजर सीमा से छूट दी गई है]

1. आईएफसीआई लिमिटेड
2. भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड (टीएफसीआई)
3. आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड (आईएफसीआई वेंचर)
4. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीडीआईसीआई)
5. राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)
6. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)
7. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
8. भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्जिम बैंक)
9. भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)
10. भारतीय सामान्य बीमा निगम (जीआईसी)